आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
11.02.2020	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया** **उत्पाद वाद संख्या-62/2019** **राज्य** **बनाम** **1. अशोक चौहान, पिता विजय चौहान, सा0-तारानगर, थाना-श्रीनगर, जिला-पूर्णिया।** **2. झड़ी लाल नोनिया उर्फ विजय मंडल, पिता चौधरी नोनिया, सा0-तारानगर, थाना-श्रीनगर, जिला-पूर्णिया।** **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **के0नगर/श्रीनगर थाना कांड संख्या-343/2018 दिनांक-09.09.2018** के आलोक में प्रारंभ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक-384/हि0शा0, दिनांक 24.01.2019** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि विपक्षीगण के आवासीय परिसर **मौजा-जगैली, थाना नं0-148, खाता सं0-205, खेसरा सं0-2962, रकवा-0.16.9.5 डी0 से 10 लीटर देशी शराब** जप्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् विपक्षी के उक्त जमीन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। इस वाद में **विपक्षी द्वारा दिनांक 27.08.2019** को कारणपृच्छा समर्पित किया गया है, जो अभिलेखबद्ध है। विपक्षी द्वारा समर्पित करणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि लगाया गया आरोप गलत है। विपक्षी के घर में कोई छापामारी नहीं हुई है और न ही शराब जप्त की गई है। जप्ती सूची को देखा जा सकता है जिसमें जप्ती का स्थान जीवन जीविका कार्यालय, तारानगर जगैली, थाना-श्रीनगर, जिला-पूर्णिया दर्ज है। जप्ती सूची पर विपक्षी या उनके परिवार के किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है। जबकि नियमानुसार जप्ती सूची की एक प्रति उन्हें भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जप्ती सूची में शराब प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम अजमीरा, पति तस्लीम, सा0-तारानगर, थाना-श्रीनगर, जिला-पूर्णिया अंकित है। इस वाद में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है	

तथा केश डायरी भी उपलब्ध है जिसमें वाद के सूचक पु0अ0नि0 चंदन कुमार ठाकुर हैं। सभी साक्षी पुलिस विभाग के हैं। शराब प्रस्तुत करने वाले का ब्यान भी दर्ज नही है और न ही किसी भी ग्रामीण अथवा स्वतंत्र साक्षी का ब्यान दर्ज है। केश डायरी के पारा 10 में ग्रामीणों द्वारा विपक्षी के घर से शराब जप्त करने का उल्लेख है जबकि विपक्षी के घर से शराब बनाने की कोई सामग्री नहीं पायी गई है। ग्रामीण राजनीति के चलते पुलिस को प्रभाव में लेकर झुठा आरोप लगाया गया है। अतएव वर्तमान वाद खारीज करने योग्य है।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि विपक्षी के आवासीय परिसर से शराब बरामद हुआ है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'ङ' में वर्णित है कि **"कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भण्डारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।"** स्पष्ट है कि जप्त परिसर में शराब का भण्डारण किया गया था। जहॉ तक शराब बरामदगी स्थल का प्रश्न है इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी, केश डायरी एवं आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जीविका दीदी के द्वारा विपक्षी के घर से शराब प्राप्त कर स्थानीय पुलिस को सूचना देते हुए जीविका कार्यालय में शराब लाया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज की गई। इस प्रकार जप्ती स्थल में विपक्षी का आवासीय परिसर न होकर जीविका कार्यालय अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधानों के तहत् विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 **"विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागु होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।"** ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में विपक्षी के आवासीय परिसर को

राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा, सरकारी अधिवक्ता (उत्पाद विभाग) का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के आवासीय परिसर से अवैध शराब जप्त हुआ, जिसे जीविका कार्यालय में लाकर रखा गया तथा पुलिस को सूचना देकर जप्त शराब सौंपा गया। इस प्रकार विपक्षी के आवासीय परिसर का उपयोग शराब के भण्डारण हेतु किया गया है। विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं है, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद आवासीय परिसर से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त आवासीय परिसर को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत विपक्षी के आवासीय परिसर **मौजा-जगैली, थाना नं0-148, खाता सं0-205, खेसरा सं0-2962, रकवा-0.16.9.5 डी0** जमीन को राजसात (अधिहरण) का आदेश देता हूँ। अधीक्षक, मद्य निषेद्य, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।